पीठासीन अधिकारी :– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 67/2021

यूको बैंक शाखा कार्यालय लालसोट, जिला दौसा (राजस्थान)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री मीठा लाल मीणा पुत्र श्री रामपाल मीणा, पताः मैनेजर, ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, चांदन, तहसील लालसोट जिला दौसा राज0 303503 (ऋणी /बंधककर्ता)
2. श्रीमती जगदीशी मीणा पत्नि श्री मीठा लाल मीणा पताः–पीपली वाली ढाणी, लखनपुरा पोस्ट चोडियावास, लालसोट जिला दौसा राज0 303503 दूसरा पताः मैनेजर, ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, चांदन, तहसील लालसोट जिला दौसा राज0 303503 सह–ऋणी)

......अप्रार्थी

प्रा0 पत्र अंतर्गत धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित :– श्री महेश शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

दिनांकः 14.12.2021

आदेश

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी यूको बैंक शाखा लालसोट ने अप्रार्थी/ऋणीगण व अन्य को 14,00,000/–(रूपये चौदह लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी यूको बैंक शाखा लालसोट को सुना गया। हमने प्रार्थी यूको बैंक शाखा लालसोट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी यूको बैंक शाखा लालसोट को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई श्री मीठा लाल मीणा पुत्र श्री रामपाल मीणा की आवासीय संपत्ति जो खसरा नंबर 558 का हिस्सा न्यू कालोनी, लालसोट जिला दौसा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका क्षेत्रफल लगभग 180.68 वर्गगज 196.4 वर्गगज है, जो कि थाना लालसोट के अंतर्गत है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी यूको बैंक शाखा लालसोट को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 14 दिसंबर 2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा